कार्यालय मुख्य चिकित्साअधिकारी, मऊ।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मऊ।

सेवा में,

1—पुलिस अधीक्षक, मऊ।
2—जिला विद्यालय निरीक्षक, मऊ।
3—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ।
4—जिला पंचायतराज अधिकारी, मऊ।
5—सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मऊ।
6—वाणिज्य कर अधिकारी, मऊ।
7—सहायक आयुक्त—II, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, मऊ।
8—समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी,सामु0/प्रा0स्वा0/नगरीय स्वा0 केन्द्र, मऊ।
9—जिला कृषि अधिकारी, मऊ।
10—अधिषाशी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मऊ।

पत्रांकः—मु0चि0अ0/एन0टी0सी0पी0/2026—27/2320-21
दिनांक 14 मई, 2026

विषयः—राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0/ के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समन्वय समिति की आहूत बैठक दिनांक 19.02.2026 में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/13/2026—27/2759 लखनऊ दिनांक—06मई 2026 (छायाप्रति संलग्न) व शासन के पत्र संख्या—आई0—1266349/पांच—7—2026 दिनांक—01.04.2026 का सन्दर्भ (छायाप्रति संलग्न) ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) एवं सी0ओ0टी0पी0ए0—2003 के उचित क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की आहूत बैठक दिनांक 19.02.2026 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देशित कया गया है।

अतः आप सभी से आपेक्षित है कि राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक के कार्यवृत्त दिंनाक—01.04.2026 में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

मुख्य चिकित्साअधिकारी
मऊ

पत्रांकः—मु0चि0अ0/एन0टी0सी0पी0/2026—27/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2—जिलाधिकारी महोदय, मऊ।
3—नगर मजिस्ट्रेट (अध्यक्ष, जिला निगरानी समिति, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम) मऊ।
4—नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, लखनऊ, उ0प्र0।
5— नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मऊ।
6—यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।

मुख्य चिकित्साअधिकारी
मऊ।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0), 2003 के प्राविधानों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति की दिनांक 19 फरवरी, 2026 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:

उक्त बैठक में प्रतिभाग किये जाने वाले अधिकारियों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति संलग्न है।

2. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के प्राविधानों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति की बैठक दिनांक 19 फरवरी, 2026 को सम्पन्न हुई, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ स्वास्थ्य महानिदेशालय व अन्य विभागों के नामित समिति के सदस्यों/अधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रदेश में चलाये जा रहे राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0, 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रकरण की अद्यतन स्थिति, चिन्ताओं एवं उनके निवारण/सुधार हेतु बैठक में हुए विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नवत् मत स्थिर किये गये:-

(1) शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों को मान्यता/सम्बद्धता देने से पूर्व ''तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान''(ToFEI) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य बनाया जाय, साथ ही समस्त छात्रावासों/विद्यालयों में ''तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान'' (ToFEI) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन को अनिवार्यतः पृथक एजेण्डा के रूप में रखा जाय।

<u>(कार्यवाही-बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग)</u>

(2) तम्बाकू उत्पादों से होने वाली हानियों/दुष्प्रभावों की जागरूकता हेतु शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर से ही पाठ्यक्रम अथवा सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सम्मिलित किया जाय।

<u>(कार्यवाही-बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/
महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश)</u>

(3) तम्बाकू के सेवन के प्रति आकर्षण को कम करने (De-glamorization) एवं युवाओं के बीच तम्बाकू के सेवन को कम करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाहियां की जायें:-

- सार्वजनिक स्थानों, समस्त वाहनों, दुकानों आदि में तंबाकू के विज्ञापन और प्रचार (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) पर प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। (COTPA-2003 की सुसंगत धारा-5 का विवरण संलग्न है)

<u>(कार्यवाही:-गृह विभाग/परिवहन विभाग/मण्डल रेलवे/वाणिज्य कर विभाग/
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/
महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश)</u>

- हुक्का बार (तम्बाकू रहित/हर्बल वेरिएन्ट सहित) को तम्बाकू का अप्रत्यक्ष प्रचार मानते हुए कठोर कार्यवाही/प्रतिबन्ध लगाया जाय। (COTPA-2003 की सुसंगत धारा-5 का विवरण संलग्न है)

<u>(कार्यवाही:-गृह विभाग/खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग/
राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश)</u>

- युवाओं में तम्बाकू के दुष्प्रभावों की जागरूकता हेतु समस्त शिक्षण संस्थानों में तम्बाकू रोधी प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रमुखता से प्रदर्शन अनिवार्य किया जाय।

<u>(कार्यवाही-बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग)</u>

- सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में ''तम्बाकू मुक्त क्षेत्र'' का साइनेज बोर्ड लगाने की कार्यवाही की जाय।

<u>(कार्यवाही-समस्त विभाग)</u>

(4) तम्बाकू उत्पादक किसानों को कृषि विभाग द्वारा वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रेरित करते हुए तम्बाकू से इतर खेती में सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए; साथ ही तम्बाकू उत्पाद प्रसंस्करण में किसी भी प्रकार की सब्सिडी/छूट न दी जाए।

<u>(कार्यवाही-कृषि विभाग/वस्तु एवं सेवा कर विभाग/औद्योगिक विकास विभाग/
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग)</u>

(5) डी0एस0ए0 (नामित धूम्रपान क्षेत्र) में तम्बाकू रोधी प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रदर्शन अनिवार्य करने हेतु भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/महानिदेशक, स्वास्थ्य महानिदेशालय/ राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश)

(6) कर-मुक्त (Duty Free) दुकानों पर टैक्स छूट के साथ तम्बाकू उत्पादों का विक्रय तम्बाकू का प्रोत्साहन है, जो कि सी0ओ0टी0पी0ए0, 2003 की धारा-5 द्वारा निषिद्ध है (COTPA-2003 की सुसंगत धारा-5 का विवरण संलग्न है)। अतः ड्यूटी फ्री दुकानों पर तम्बाकू का विक्रय प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/महानिदेशक, स्वास्थ्य महानिदेशालय/ राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश)

(7) सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में तम्बाकू प्रयोग न करने के सम्बन्ध में संक्षिप्त सलाह (BA-Brief Advise) को शामिल करने और समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि करायी जाए एवं पूर्व में निर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या-1008/पांच-7-2025, दिनांक 12 नवम्बर, 2025 के अनुपालन में समस्त मेडिकल एवं डेन्टल कॉलेजों में तम्बाकू उन्मूलन केन्द्रों (TCCs-Tobacco Cessation Centers) की स्थापना आगामी 06 माह में सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही-चिकित्सा शिक्षा विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/ महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश)

(8) चिकित्सा शिक्षा संस्थानों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर वर्तमान में तम्बाकू उपयोग करने से होने वाले दुष्प्रभावों व उनके उपयोग करने का स्तर घट रहा है अथवा बढ़ रहा है, के संबंध में Studies कराई जायें।

(कार्यवाही-चिकित्सा शिक्षा विभाग)

(9) तम्बाकू उत्पादों के विक्रय हेतु प्रदेश के समस्त नगर क्षेत्रों में लाइसैन्सिंग प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1080/नौ-9-21-121ज/20, दिनांक 08 जून, 2021 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

(कार्यवाही-नगर विकास विभाग/नगर निगम/स्थानीय निकाय विभाग)

(10) राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार मद में राज्य स्तर से आवश्यकतानुसार पृथक् से बजट की व्यवस्था कराये जाने पर कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश)

(11) तम्बाकू रोधी आई0ई0सी0 की आवश्यकता पर विशेष बल देते हुए तम्बाकू नियंत्रण हेतु आवश्यक नवीन प्रचार-प्रसार (पोस्टर/स्लोगन आदि) बनाई जाए तथा सोशल मीडिया पर तम्बाकू रोधी संदेश प्रतिदिन राज्य/जनपद/ब्लाक स्तर के सभी स्वास्थ्य इकाईयों से पोस्ट किये जाएं।

(कार्यवाही-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश/ राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश)

(12) **प्रदेश में इलेक्ट्रानिक सिगरेट का भण्डारण, खरीद एवं बिक्री आदि पूर्णरूप से प्रतिबन्धित है, अतः The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019. (PECA-2019) के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाए।**

(कार्यवाही-पुलिस विभाग/नगर विकास विभाग)

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally signed by
AMIT KUMAR GHOSH
Date: 31-03-2026
21:21:17

(अमित कुमार घोष)
अपर मुख्य सचिव

(93)

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-7
संख्या-।-126614/पांच-7-2026
लखनऊ : दिनांक : 01 मार्च अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
गृह विभाग/वित्त विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/ उच्च शिक्षा विभाग/खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/कृषि विभाग/नगर विकास विभाग/न्याय विभाग/श्रम विभाग/परिवहन विभाग/पंचायतीराज विभाग/वणिज्य कर विभाग/औद्योगिक विकास विभाग/वस्तु एवं सेवा कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मण्डल रेल महाप्रबंधक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, लखनऊ/कानपुर।
8. उत्तर प्रदेश वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन, 5/459, विराम खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
9. निदेशक(स्वास्थ्य/राष्ट्रीय कार्यक्रम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
DHIRENDRA SINGH SACHAN
Date: 01-04-2026 18:27:37

(धीरेन्द्र सिंह सचान)
विशेष सचिव